

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/148/2015/एफ0 सी0/1694 दिनांक: 25/10/2019

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-बागेश्वर में बिलखेत-गैराड़- भारू-चौबट्टा मोटर मार्ग का ढालन तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.97 है0 वन भूमि के संबंध में का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।(FP/UK/ROAD/10596/2015)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 903/FP/UK/ROAD/10596/2015 दिनांक 28/09/2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र (EDS) दिनांक 05/12/2017 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी। राज्य सरकार से निम्नलिखित कमियों की पूर्ति अभी भी अपेक्षित है:

1. इस कार्यालय के EDS दिनांक 05.12.2017 की अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा 02 वर्ष बीत जाने के पश्चात अपने पत्र दिनांक 19.03.2019 द्वारा प्रस्तुत की है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें।
2. It is seen from the reply that neither the CA area is revised nor the hard copy of the proposal received in this office so far. State Government may submit the compliance of EDS dt. 05.12.2017.
3. इसके अतिरिक्त प्रस्ताव की KML file से यह प्रतीत हो रहा है कि ग्राम पूर्व से ही मुख्य मार्ग पर स्थित है। राज्य सरकार इस सन्दर्भ में स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें साथ ही लाभान्वित हाने वाले ग्रामों की स्थिति KML file पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C(ii) (b), Part I पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी